निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1938 (श0)
(सं0 पटना 171) पटना, मंगलवार, 28 फरवरी 2017

सं0 सं0 ग्रा.वि.-5/प्र.आ.यो.(मार्गदर्शिका)-115-01/2016—301738
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

27 फरवरी 2017

विषयः—वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रभावी प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु भारत सरकार, सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त फ्रेमवर्क (मार्गदर्शिका) के आधार पर योजना का कार्यान्वयन कराने की स्वीकृति के संबंध में।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण आवास की कमी को दूर करने तथा 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए इंदिरा आवास योजना को वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (ग्रामीण) के रूप में पुनर्गठित किया गया है । उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध कराये गये फ्रेमवर्क (मार्गदर्शिका) के आधार पर राज्य में योजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है । मार्गदर्शिका के प्रावधानों के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः—

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को चिन्हित किया जाना - सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में चिन्हित बेघर एवं जीर्ण-शीर्ण आवास वाले परिवारों की सूची में पूर्व में लाभान्वित परिवारों को सूची से हटाने के उपरांत उसे ग्राम सभा में रखकर प्रधानमंत्री आवास

योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने के लिए पात्र परिवारों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता का निर्धारण कर लाभान्वित कराया जायेगा ।

(ख) आवास निर्माण हेतु प्रति इकाई सहायता राशि की दर - वित्तीय वर्ष 2016-17 17 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सामान्य जिलों में 1,20,000 (एक लाख बीस हजार रूपये) एवं राज्य के 11 IAP जिलों (अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा, रोहतास, मुगेंर, जमुई, कैमूर (भभुआ), पश्चिम चम्पारण एवं सीतामढ़ी) में 1,30,000 (एक लाख तीस हजार रूपये) प्रति इकाई की सहायता राशि लाभुकों को दी जायेगी ।

(ग) लक्ष्य का निर्धारण - भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा योजनान्तर्गत योजनान्तर्गत संसूचित लक्ष्य में से 60% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा 15% अल्पसंख्यक के लिए शेष 25% सामान्य वर्ग के लिए कर्णांकित होंगे तथा राज्य स्तर पर 3% लक्ष्य संबंधित श्रेणियों के विकलांग जनों के लिए होंगे ।

(घ) आवास निर्माण के लिए मनरेगा से अभिसरण - आवास निर्माण के लिए मनरेगा से अभिसरण कर सामान्य जिलों में 90 दिनों एवं IAP जिलों में 95 दिनों का श्रम दिवस के लिए अनुमान्य मजदूरी का भुगतान भी लाभुकों को किया जायेगा ।

(ड.) आवास का भौतिक आकार – योजनान्तर्गत आवास (रसोईघर सहित) का निर्माण 25 वर्ग मीटर (लगभग 269 वर्ग फीट) में किया जायेगा ।

(च) शौचालय का निर्माण – प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत शौचालय बनाया जाना इस योजना का अभिन्न अंग होगा है । शौचालय निर्माण के बाद ही आवास को पूर्ण माना जायेगा । लाभुकों को शौचालय का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा /अन्य किसी वित्तीय स्रोत से कराये जायेंगे ।

(छ) प्रशासनिक व्यय हेतु निधि की व्यवस्था - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले निधि की 4% राशि प्रशासनिक मद में व्यय की जायेगी, जिसमें से 0.5% राज्य स्तर के व्यय के लिए रखे जायेंगे तथा शेष 3.5% जिलान्तर्गत व्यय के लिए जिलों को लक्ष्यों के अनुपात में उपलब्ध होंगे ।

प्रशासनिक मद की इस राशि से लाभुकों में जागरुकता लाने, मकान निर्माण को प्रदर्शित करने, योजना का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यालय का आकस्मिक व्यय, संविदा पर कार्मिकों की सेवा प्राप्त करना, प्रशिक्षण दाता एवं राज मिस्त्रियों के प्रशिक्षण, सामाजिक अंकेक्षण एवं सूचना शिक्षा एवं प्रसार की गतिविधियों, मूल्याकंन अध्ययन आदि संबंधी कार्य किये जायेंगे ।

2. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अ0स0पत्रसं0-J-11014/1/2016-RH दिनांक 21.11.16 द्वारा उपलब्ध कराये गये फ्रेमवर्क फॉर इम्पिलिमेंटेशन "प्रधानमंत्री आवास आवास योजना (ग्रामीण)" में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 171-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in